न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 06 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 कंवराराम पुत्र पूनमाराम उम्र 30 वर्ष 2 गेनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 28 वर्ष 3 मिधुदेवी पत्नि पूनमाराम उम्र 60 वर्ष जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1 नूराराम पुत्र केसाराम उम्र 63 वर्ष 2 नन्दराम पुत्र कूंपाराम उम्र 72 वर्ष 3 पूरखाराम पुत्र मगाराम उम्र 45 वर्ष 4 प्रहलादराम पुत्र मगाराम उम्र 43 वर्ष 5 खुमाराम पुत्र मगाराम उम्र 30 वर्ष 6 शिवरथाराम पुत्र मगाराम उम्र 27 वर्ष 7 रूखमो पत्नि मगाराम उम्र 72 वर्ष 8 हरजीराम पुत्र तुलसाराम उम्र 64 वर्ष 9 पीराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 61 वर्ष जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 10. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी जिला बाड़मेर 11. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भुका भगतसिंह जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 से 11 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 12 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 14.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:11 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि [illegible] प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है जो प्रार्थीगण [illegible] आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 9 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व सामलाती कब्जा काश्त

SDO सिणधरी

का खेत खेत खसरा संख्या 290 रकबा 12.9359 हैक्टयर, 293 रकबा 0.8656 हैक्टयर मौजा गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/10, 1/10 तथा प्रार्थी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा, विप्रार्थीगण संख्या 3 से 7 प्रत्येक का 1/60, 1/60, 1/60, 1/60 1/80 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 8 से 9 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथामौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग पर निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम रोडे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 402, 420, 426, 427, 429, 524, 532, 534, 536 रकबा क्रमशः 4. 8216, 3.0499, 1. 9982, 0.8575, 2.6293, 20.5891, 9.4734, 1.5533, 8. 4217 हैक्टेयर कुल रकबा 53.3940 हैक्टेयर मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर कि[illegible] का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग या कदाम [illegible] तक [illegible] जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की [illegible] में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:11 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण

SDO सिणधरी

खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की 402, 420, 426, 427, 429, 524, 532, 534, 536 रकबा क्रमशः 4.8216, 3.0499, 1.9982, 0.8575, 2.6293, 20.5891, 9.4734, 1.5533, 8. 4217 हैक्टेयर कुल रकबा 53.3940 हैक्टेयर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:11 IST
Reason: SelfAttested